**न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही–ज्ञानपुर।**
**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–525 सन् 2026**

**CNR No.–UPSN01–001644–2026**

गुलाबधर मिश्र बालिग पुत्र स्व० शीतला प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम कौलापुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–157 सन् 2026
धारा–419, 420, 467, 468, 471
भारतीय दण्ड संहिता।
थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही।

**आदेश**

1. प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबधर मिश्र की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 157/2026 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक है कि अभियोगिनी ऊषा देवी शुक्ला पत्नी अशोक कुमार शुक्ला द्वारा थानाध्यक्ष, गोपीगंज को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थिनी ग्राम बघेलीपुर पो० जंगीगंज, थाना गोपीगंज, जिला भदोही की मूल निवासिनी है। प्रार्थिनी ने अपने माता पिता की सेवा टहल दवा इलाज सारा क्रियाकर्म उसके व उसके पति के द्वारा किया जाता था। प्रतिलिपि प्रार्थिनी के बड़े पिता के लड़के जो काफी जालसाज व फितरतबाज हैं। जिन्होने अभियोगिनी के पिता की अनुभाग मृत्यु के बाद उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर एक कूटरचित फर्जी वसीयतनामा अपने मेली मददगार के साथ मिल कर उपनिबन्धक भदोही के यहाँ निबन्धित कराया उक्त कूचरचित फर्जी वसीयत में लेख का स्थान ग्राम हरीपट्टी दिखाया गया है। जबकी प्रार्थिनी के पिता अपने मूल निवास स्थान ग्राम कौलापुर में ही रहते थे और वही उनकी मृत्यु हुई। उक्त फर्जी वसीयत में जो स्टाम्प लगाया गया है, वह ज्ञानपुर के स्टाम्प विक्रेता शालीग्राम शुक्ला से खरीदा गया है, उक्त कूट रचित वसीयत नामा में विवादित सम्पत्ति ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत स्थित है, परन्तु उसका निबन्धन उप निबन्धक ज्ञानपुर में न कराकर अपने मेली मददगारों के सहयोग से कूटरचित फर्जी वसीयतनामा उपनिबन्धक भदोही के यहां निबन्धित कराया, कूटरचित फर्जी वसीयतनामा का लेखक ज्वाला प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० गौरीशंकर शुक्ला ग्राम लोहराडीघ पो० कपसेठी थाना कपसेठी जनपद वाराणसी द्वारा

लिखा गया है। जबकि ज्वाला प्रसाद शुक्ला को दस्तावेज लेखन का लाईसेंस प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियमावली 1977 के अनुसार गैर लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा लिखा गया दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय स्वीकार नही किया जायेगा। उक्त कूटरचित फर्जी वसीयतनामा दि० 11–06–2012 को लिखा पढ़ी करके दि० 18.06.2012 को उपनिबन्धक भदोही के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दिनांक 11/7/2012 ई0 को उसे रजिस्टर्ड कराया गया जब कि दिनांक 12/6/2012 को उसके पिता जी माता प्रसाद कि मृत्यु हो गयी। अभियोगी के पिता जी माता प्रसाद कि मृत्यु के उपरान्त प्रार्थिनी ने पहले उनका क्रिया कर्म किया और उसके बाद ग्राम सभा कवलापुर के सेक्रेटरी से कुटुम्ब रजिस्टर नकल व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसके पश्चात न्यायालय तहसीलदार, ज्ञानपुर जनपद भदोही के यहाँ अन्तर्गत धारा 34 मु०रा० अधि० के तहत वरासत दर्ज कराने हेतु आवेदन किया। तब प्रार्थिनी को इस बात कि जानकारी हुई कि उसके पिता जी के मृत्यु के बाद उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी वसीयतनामा करा लिये दौरान मुकदमाप्रार्थिनी को इस बात कि जानकारी हुई कि फर्जी वसीयतनामा के लेखक ज्वालाप्रसाद शुक्ल दस्तावेज लेखक नही है। इस बात कि जानकारी प्रार्थिनी को होने पर प्रार्थिनी ने जब ज्वाला प्रसाद शुक्ला से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया तब ज्वाला प्रसाद शुक्ला ने कहा कि गुलाबधर के कहने पर मैने ऐसा किया। विजय कुमार दूबे पुत्र बंगाली दूबे ने मिलकर आपस में दुरभिसंधि करके फर्जी वसीयतनामा तैयार करके अपराधिक षडयंत्र करते हुए छल करते हुए प्रार्थिनी कि मूल्यवान सम्पत्ति को बिना विधिक अधिकार के कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। विपक्षीगण ज्वाला प्रसाद शुक्ल व गुलाबधर मिश्र व विजय कुमार दूबे ने संज्ञेय अपराध कारित किया है जिसके संबध में प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक, जनपद भदोही को भी अवगत करा चुकी है। विपक्षीगण ज्वाला प्रसाद शुक्ल पुत्र स्व० गौरीशंकर शुक्ला निवासी ग्राम लोहराडीघ पो० कपसेठी थाना कपसेठी जनपद वाराणसी व गुलाबधर मिश्रा पुत्र स्व० शीतला प्रसाद मिश्र निवासी कवलापुर तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही व विजय कुमार दूबे पुत्र बंगाली दूबे निवासी कवलापुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही के विरुद्ध कठोर कानुनी कार्यवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की याचना की गयी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण ज्वाला प्रसाद शुक्ल, गुलाबधर मिश्र, विजय कुमार दूबे के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने आधार अग्रिम जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। उक्त अपराध संख्या व धारा में वादी ने जो अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दर्शित की है। घटना के लगभग 14 वर्षों के बाद घटना के बाबत प्रार्थना पत्र दी है व थाना गोपीगंज की पुलिस को मिल–मिलाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, जबकि प्रथम सूचना में सभी घटना सन् 2012 जून माह की दर्शित है। उसके बावजूद कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई देर का कारण दर्शित नहीं है। इस आधार पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई देर का कारण दर्शित नहीं है। उक्त अपराध संख्या व धारा में वादिनी ने गांव घर दुश्मनान के साजिश में होकर व अपने परिवार के दबाव में आकर काफी विलम्ब से एक दीवानी वाद वसीयतनामा को निरस्त कराने हेतु दाखिल की , जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है व तहसीलदार ज्ञानपुर के न्यायालय में भी वाद दाखिल की थी, जिसका स्थानान्तरण तहसील के बाबत दाखिल की थी, जो कई बार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद जिलाधिकारी न्यायालय से कमिश्नर मिर्जापुर के न्यायालय से अभियुक्त के द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर तहसील औराई, जनपद भदोही के न्यायालय में स्थानांतरित हुआ, जो विचाराधीन है। अभियुक्त की मंशा कभी भी वादिनी को परेशान करने व क्षति पहुंचाने की नहीं रही, न ही अभियुक्त ने कभी भी किसी धोखे में मृतक चाचा माता प्रसाद स्वयं अभियुक्त को बिना बताये वसीयतनामे की लिखा–पढ़ी किये व कराये इस आधार पर भी अभियुक्त का कोई अपराध नहीं है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जैसी घटना वादिनी ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित की व लिखी है, वैसी किसी घटना के बारे में अभियुक्त उपरोक्त को कोई जानकारी नहीं है, न ही अभियुक्त उपरोक्त ने न तो कोई वैसी घटना ही कारित किये है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त अन्य सहअभियुक्तगण से मिलकर आपसी दुरभिसंधि करके फर्जी वसीयतनामा तैयार करके आपराधिक षड़यंत्र करते हुए छल करते हुए मूल्यवान सम्पत्ति को बिना विधिक अधिकार के कूटरचित दस्तावेज तैयार करके

गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

6. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उनके द्वारा छल–कपट एवं कूट रचना करते हुए फर्जी रूप से स्व० माता प्रसाद के नाम से वसीयत की रचना की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि माता प्रसाद के मृत्यु के उपरांत प्रश्नगत वसीयत का निर्माण कराया गया, जिसमें अन्य अभियुक्तगण माता चरन एवं विजय कुमार मिश्र की संलिप्तता थी। यह भी आरोप लगाया गया कि फर्जी रूप से वसीयत के निर्माण में पंजीकरण विभाग द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। प्रश्नगत वसीयत की छायाप्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वसीयत पर एक फोटो चस्पा है, जिस पर माताचरन के हस्ताक्षर होना दर्शित है। माता चरन को उक्त वसीयत में अनुप्रमाणित साक्षी होना कहा गया है। यह वाद मृतक माता प्रसाद की पुत्री द्वारा दर्ज करायी गयी है।

7. प्रस्तुत मामले में इस स्तर पर ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतः दुराशय से व निरापराध आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई कारण व आधार नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

8. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 03.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय,
प्रभारी, सत्र न्यायाधीश, भदोही।